



**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति**

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27-10-2020

दिनांक 26/27-10-2020 को रात्रि थाना जानकीपुरम् 01, मोहनलालगंज 06, चौक 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना मोहनलालगंज:-दिनांक 26-10-2020 को एस0आई0 श्री राजेन्द्र कान्त ढुक्ला थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-हरिश्चन्द्र पुत्र स्व0 राधेलाल निवासी ग्राम कोड़रा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को ग्राम कोड़रा के बगल ग्राम प्रधान के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची ढाराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध कच्ची ढाराब के साथ गिरफ्तार।

थाना नगराम:-दिनांक 26-10-2020 को एस0आई0 महेन्द्र सिंह थाना नगराम लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-विनोद पुत्र रामदत्त निवासीग्राम गढ़ी उत्तरावा थाना निगोहाँ लखनऊ को ग्राम पतौना नहर मोड़ से ग्राम पतौना से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची ढाराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत कर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध कच्ची ढाराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज:-दिनांक 26-10-2020 को एस0आई0 श्री राम सिंह थाना गोसाईगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-बेचालाल रावत पुत्र स्व0 श्री रामदुलारे निवासी जौखण्डी थाना गोसाईगंज लखनऊ को ग्राम जौखण्डी गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची ढाराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना गोसाईगंज:-दिनांक 27-10-2020 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि श्री दिलीप रावत पुत्र स्व0 मथुरा रावत निवासी ग्राम सिद्धपुरा थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 26-10-2020 की रात्रि को उसके भाई मंटाराम उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 मथुरा निवासी ग्राम सिद्धपुरा थाना गोसाईगंज लखनऊ ने

ठाराब पीकर उसकी भाभी रेनू से आपस में लड़ाई झगड़ा किये थे, जिसमें उसके भाई मंटाराम ने अपनी पत्नी रेनू को मारा पीटा था, जिससे गुस्से में आकर उसकी भाभी श्रीमती रेनू ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी भाभी रेनू उम्र करीब 36 वर्ष की मृत्यु हो गयी थी, जिससे आहत होकर उसके भाई मंटाराम ने घर के बगल में स्थित बबूल के पेड़ में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उसके भाई मंटाराम उम्र करीब 40 वर्ष की भी मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर एस0आई0 श्री राम प्रकाश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि मृतक खेती किसानी कारता था, जिसके एक पुत्र व एक पुत्री है।

पीजीआई:-दिनांक 27-10-2020 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया श्री राहुल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी 2/79 विपुलखण्ड थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 26-10-2020 को प्रातः उनके साले अमित सिंह उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र स्व0 विनोद कुमार सिंह निवासी 4/3 गंगा सिंचाईपुरम् कालोनी थाना पीजीआई लखनऊ ने अपने घर के अन्दर कमरे में लगे पंखे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री एस0आई0 श्री अनुज सिंह मो0नं0 8840136775 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक सिंचाई विभाग में जे0ई0 के पद पर कार्यरत थे।

कृष्णानगर:-दिनांक 27-10-2020 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुरेन्द्र नाथ दीक्षित पुत्र श्री नन्दकिशोर दीक्षित निवासी मोहल्ला बजरंग सिटी पण्डितखेड़ा थाना कृष्णानगर लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 23-10-2020 को वादी अपना मकान बंद करके अपने मूलनिवास ग्राम सिंकदरपुर थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई सपरिवार गया हुआ था। दिनांक 26-10-2020 को प्रातः 09.45 बजे जब वादी अपने परिवार सहित पण्डितखेड़ा निवास पर आया, तो देखा कि वादी के मकान का ताला तोड़कर 65000/-रुपया नकदी व जेवरात को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस सूचना पर थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 478/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजेश कुमार यादव मो0नं0 7800818135 द्वारा की जा रही है।

